# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार ।** (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **148/2024** GCMS 2024/328

प्रार्थी :–

1. पटवारी हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना–कुचामन

अप्रार्थी :–

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार महोदय तहसील कुचामन सिटी
2. ग्राम पंचायत पदमपुरा–सरगोठ

**प्रार्थना–पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती शुद्धि बाबत् अन्तर्गत धारा 136 आरएलआर एक्ट 1956 एवं एलआर नियम 1957 के नियम 58 से 62**

उपस्थित :– प्रार्थी पटवारी हल्का सरगोठ तहसील कुचामन सिटी
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

**–:निर्णय :–**

**दिनांक :–** 02/12/2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में 11.86 हैक्टयर किस्म गै. मु. गौचर व 16.30 हैक्टयर गै.मु. खारड़ा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग किस्म के साथ एक ही खसरे में दर्ज है। गै.मु. गौचर एवं गै.मु. खारड़ा दोनों भूमियों एक साथ एक ही खसरे में होने से सीमा निर्धारण नहीं हो रखा है जिसमें विभिन्न प्रकार के आंवटन एवं ग्राम पंचायत द्वारा गौचर संरक्षण में किये जाने वाले कार्य प्रभावित है। उक्त संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.11.2024 को एक ही रकबे में दर्शित दोनों भूमियों को अलग–अलग नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रस्ताव अनुसार खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में से 11.86 हैक्टयर दर्ज गौचर भूमि को पूर्वी तरफ (गांव की तरफ) अलग तरमीम किये जाने बाबत सहमती प्रदान की है। ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव एवं सलंग्न ट्रेस नक्शा अनुसार ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

11.86 हैक्टयर गै.मु. गौचर एवं 16.30 हैक्टयर गै.मु. खारड़ा को अलग–अलग तरमीम की जावे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना में अंकित तथ्यों को सही होना स्वीकार कर ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में दर्ज 11.86 हैक्टयर गै.मु. गौचर एवं 16.30 हैक्टयर गै.मु. खारड़ा भूमि अलग–अलग तरमीम किया जाना उचित बताया गया।

प्रार्थी व राजपैरोकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व राजपैरोकार ने तहसीलदार रिपोर्ट को दोहराया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में दर्ज 11.86 हैक्टयर गै.मु. गौचर एवं 16.30 हैक्टयर गै.मु. खारड़ा भूमि अलग–अलग तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

**–:आदेश :–**

ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28.16 हैक्टयर में दर्ज 11.86 हैक्टयर गै.मु. गौचर एवं 16.30 हैक्टयर गै.मु. खारड़ा भूमि अलग–अलग तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न नजरी नक्शा आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा। तहसीलदार कुचामन सिटी आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 02/12/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार I,RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (डीडवाना–कुचामन) राज.

क्रमांक/कोर्ट/2024/314

दिनॉकः– 2/12/2024

प्रेषित :– तहसीलदार
कुचामनसिटी

विषय :– राजस्व प्रार्थना–पत्र सं. 148/2024 **GCMS 2024/328** पटवारी हल्का सरगोठ सिटी बनाम तहसीलदार कुचामन सिटी वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत।

–x– x–x–x –

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के राजस्व वाद सं. 148/2024 **GCMS 2024/328** पटवारी हल्का सरगोठ बनाम तहसीलदार कुचामन सिटी वगैरह में पारित आदेश की पालना बाबत प्रति भिजवाई जा रही है। आदेश की पालना कर रिपोर्ट इस न्यायालय प्रस्तुत करें।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना–कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.06.27 13:02:00 IST
Reason: SelfAttested